न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 92 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पुनमाराम पुत्र भुराराम उम्र 55 वर्ष **बनाम**
2. सताराम पुत्र भुराराम उम्र 50 वर्ष
3. हीराराम पुत्र भुराराम उम्र 45 वर्ष
4. केशाराम पुत्र भुराराम उम्र 43 वर्ष
5. रामुराम पुत्र भीयाराम उम्र 45 वर्ष
6. जोराराम पुत्र भीयाराम उम्र 42 वर्ष

जातियान जाट निवासीयान जाटो की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

1. दुदाराम पुत्र मोटाराम उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी जाटो की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार / उप पंजीयक चौहटन
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 119 / 2013 बअनवान दुदाराम बनाम पुनमाराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक शून्य के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुगनमल परिहार अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 14.10.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा जाटो की बस्ती तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 10 रकबा 15.04 बीघा, खसरा संख्या 61 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 198 / 62 रकबा 385.08 बीघा, खसरा संख्या 211 / 133 रकबा 35.05 बीघा, खसरा संख्या 221 / 62 रकबा 0.10 बीघा, कुल रकबा 436.16 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के संयुक्त खातेदारी के है। जिसमें वादी का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का 1 / 3 हिस्सा एवं 5 व 6 का 1 / 3 हिस्सा खातेदारी का है जिसमें वादी का 1 / 3 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाऊण्ड बंटवाड़ा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता को अनुपस्थित बता कर यह अंकित किया गया कि साक्ष्य पेश करने हेतु काफी अवसर दिये गये, अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को अपनी शहादत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा एवं 5 व 6 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा घोषित करना न्यायोचित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में घोषित किया गया है। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अपीलांट ने दावे को लंबित करने की नीयत से अपील पेश की गई है। अपीलांट सद्भाविक एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दिनांक 09.06.2016 कैम्प कोर्ट चौहटन में उभयपक्ष उपस्थित रहे। इसके बाद पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में चलती रही तथा अंतत लगभग 02 वर्ष 08 माह बाद दिनांक 11.02.2019 को साक्ष्य का अवसर बंद किया गया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साक्ष्य पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रसर होते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। राजस्व रिकॉर्ड (EXP-1) के मुताबिक रेस्पोडेंट(वादी) का हिस्सा 1/3 साबित है इसलिए प्राथमिक डिक्री मुताबिक कानून एवं रिकॉर्ड समर्थित है। **अपीलांटगण येन-केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 119/2013 बअनवान दुदाराम बनाम पुनमाराम वगै. निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक शून्य को यथावत रखा जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि वह प्राथमिक डिक्री की पालना में पक्षकारों को सूचित कर **उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चौहटन** को स्वयं मौके पर भेजकर प्राप्त कर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(तखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.10.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर